"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त 2014—श्रावण 10, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति ममता शाजीदा पत्नी श्री गुरूमुख शाजीदा, उम्र 33 वर्ष, निवासी-503, शाजीदा कम्पाउंड, मेन रोड, अवंति विहार, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि शादी के पूर्व मुझे कु. दुर्गा डोडवानी पुत्री श्री आनन्दराम डोडवानी के नाम से जानी, पहचानी एवं लिखी जाती थी. मेरी शादी दिनांक 11-2-2007 को श्री गुरूमुख शाजीदा के साथ सम्पन्न हुई. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति ममता शाजीदा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमति ममता शाजीदा पत्नी श्री गुरूमुख शाजीदा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कु. दुर्गा डोडवानी
पिता श्री आनन्दराम डोडवानी
निवासी-सी-4, गुरूघासीदास सोसायटी
न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर
तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमति ममता शाजीदा
पति-श्री गुरूमुख शाजीदा
निवासी-503, शाजीदा कम्पाउंड
अनमोल फ्लैट के पास, मेनरोड अंवति विहार रायपुर
तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जेम्स् जार्ज टी. आत्मज श्री जार्ज जैकब निवासी-प्लाट नं. 333, सड़क नं. 2/ई, होरी आटो के पास, प्रगति नगर रिसाली, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री जिसकी जन्मतिथि 2-1-2004 है को मेरीन जेम्स् थेपराम्पिल के नाम से जानी, पहचानी जाती थी. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम मेरीन मारिया जेम्स् रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को मेरीन मारिया जेम्स् पिता श्री जेम्स् जार्ज टी. के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

मेरीन जेम्स् थेपराम्पिल
पिता-श्री जेम्स् जार्ज टी.
निवासी-प्लाट नं. 333, सड़क नं. 2/ई,
होरी आटो के पास, प्रगति नगर रिसाली
भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

मेरीन मारिया जेम्स्
पिता-श्री जेम्स् जार्ज टी.
निवासी-प्लाट नं. 333, सड़क नं. 2/ई,
होरी आटो के पास, प्रगति नगर रिसाली
भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामगोपाल तिवारी आत्मज श्री रामाधार तिवारी, उम्र 57 वर्ष, निवासी-बाजार चौक, ननकट्ठी, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मुझे डुंडकेश्वर प्रसाद आ. श्री रामाधार के नाम से जाना, पहचाना जाता था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रामगोपाल तिवारी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रामगोपाल तिवारी आत्मज श्री रामाधार तिवारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

डुंडकेश्वर प्रसाद (Dundkeshwar Prasad)
आत्मज-श्री रामाधार तिवारी
निवासी-मकान नं. 231, बाजार चौक ननकट्ठी
तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

रामगोपाल तिवारी (Ram Gopal Tiwari)
आत्मज-श्री रामाधार तिवारी
निवासी-मकान नं. 231, बाजार चौक ननकट्ठी
तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सरोजा देवी धर्मपत्नी स्व. राजू राव, उम्र 32 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 2/जी, सड़क नं. 1, सेक्टर 1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मुझे बी. सरोजा देवी के नाम से जानी पहचानी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सरोजा देवी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे सरोजा देवी धर्मपत्नी स्व. राजू राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

बी. सरोजा देवी (B Saroja Devi)
धर्मपत्नी-स्व. राजू राव
निवासी-क्वा.नं. 2/जी, सड़क नं 1, सेक्टर 1,
भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती सरोजा देवी (Smt. Saroja Devi)
धर्मपत्नी-स्व. राजू राव
निवासी-क्वा. नं. 2/जी, सड़क नं. 1, सेक्टर 1,
भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीपक वर्मा पिता श्री शांति प्रकाश वर्मा, आयु 41 वर्ष, निवासी-ईडब्ल्यूएस 1483-84 सी. जी. एच. बी. इण्डस्ट्रीयल एरिया भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा नाम दीपक कुमार वर्मा है तथा इसी नाम से पुकारा जाता है. मैं अपने नाम दीपक कुमार वर्मा से 'कुमार' शब्द का परित्याग कर अपना नया नाम दीपक वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे दीपक वर्मा पिता श्री शांति प्रकाश वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
दीपक कुमार वर्मा (Deepak Kumar Verma) पिता-श्री शांति प्रकाश वर्मा निवासी-ईडब्ल्यूएस 1483-84 सी. जी. एच. बी. इण्डस्ट्रीयल एरिया भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	दीपक वर्मा (Dipak Verma) पिता-श्री शांति प्रकाश वर्मा निवासी-ईडब्ल्यूएस 1483-84 सी. जी. एच. बी. इण्डस्ट्रीयल एरिया भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रेमलाल गौतम आत्मज श्री उदयराम गौतम, निवासी-सड़क नं. 1, क्वा. नं. 8/ई, सेक्टर 4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम प्रेमलाल लिखा हुआ है तथा मेरे अन्य दस्तावेज, पैनकार्ड एवं बैंक एकाउन्ट में मेरा नाम प्रेमलाल गौतम लिखा हुआ है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम 'गौतम' जोड़कर अपना नया नाम प्रेमलाल गौतम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे प्रेमलाल गौतम आत्मज श्री उदयराम गौतम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
प्रेमलाल आत्मज-श्री उदयराम गौतम निवासी -क्वा. नं. 8/ई, सड़क नं. 1, सेक्टर 4, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	प्रेमलाल गौतम आत्मज-श्री उदयराम गौतम निवासी -क्वा. नं. 8/ई, सड़क नं. 1, सेक्टर 4, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजकुमार धुरन्धर आत्मज श्री उमराव सिंह धुरन्धर, निवासी-प्लाट नं. 377/7, सड़क नं. 9, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राजकुमार लिखा हुआ है तथा मेरे पैनकार्ड, बैंकखाता, अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम राजकुमार धुरन्धर लिखा हुआ है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम 'धुरन्धर" जोड़कर अपना नया नाम राजकुमार धुरन्धर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राजकुमार धुरन्धर आत्मज श्री उमराव सिंह धुरन्धर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
राजकुमार आत्मज-श्री उमराव सिंह धुरन्धर निवासी -प्लाट नं. 377/7, सड़क नं. 7/9 प्रगति नगर रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	राजकुमार धुरन्धर आत्मज-श्री उमराव सिंह धुरन्धर निवासी -प्लाट नं. 377/7, सड़क नं. 7/9 प्रगति नगर रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2014

अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)

क्रमांक/परि./2014/794.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/1777 दिनांक 28-12-2006 के तहत् कोटना फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. ओढ़गन पं. क्र. 3113 दिनांक 01/01/81 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. डी. कुल्हारा, अंकेक्षण अधिकारी, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् कोटना फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. ओढ़गन पं. क्र. 3113 दिनांक 01/01/81 विकास खण्ड बिल्हा, जिला-बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश दिनांक 31-03-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2014

अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)

क्रमांक/परि./2014/792.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/911 दिनांक 23-07-2007 के तहत् आदर्श कामगार सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 3685 दिनांक 25-09-95 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् आदर्श कामगार सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर पं. क्र. 3685 दिनांक 25-09-95 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश दिनांक 31-03-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.